न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 438/2019
GCMS NO. : 2019/00210

–: वादीगण :–
1. प्रदीपसिंह धर्मावत पुत्र मोहनसिंह जाति– चारण, निवासी– कांवलिया खुर्द, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–
1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
तारीख रजू: 19/11/2019

उपस्थितः–
1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 29/07/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा कावलियाखूर्द पटवार क़ावलियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 287/1 रकबा 2. 07 बीघा किस्म चाही सोयम आई हुई है। जिसका वादी रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे एक कुआ खुदा हुआ है जो वर्तमान मे क्षतिग्रस्त हो गया है तथा उक्त कृषि भूमि की सिंचाई उक्त कुऐ से पुराने समय मे होती थी बाद मे पानी के अभाव मे उक्त कुऐ की देखरेख नही कर पाये जिस कारण से उक्त कुआ क्षतिग्रस्त हो गया है वर्तमान मे आस पास की जमीनो मे खुदे हुए कुओ मे पानी की आवक हो गयी तथा बारिस ज्यादा होने से उक्त जमीन की वाटर लेवल उपर बढ़ जाने से कुऐ मे पानी आ गया है । इसलिए उक्त कुऐ की मरम्मत करके ठीक करवाना चाहते है लेकिन नियमानुसार उक्त कुऐ का राजस्व रेकर्ड इन्द्राज नही है इसलिए उक्त कुऐ की मरम्मत नही करवा पा रहे है । इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा श्रीमान् तहसीलदारजी जैतारण को एक प्रार्थनापत्र दिनांक 06/08/2019 को पेश किया था जिस पर प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवाई थी। पटवारी हल्का द्वारा उक्त कृषि भूमि का भौतिक रूप से मौका मुआयना कर रिपोर्ट दिनांक 20/09/2019 को तैयार की जिसमे यह दर्शाया कि उक्त कृषि भूमि मे कुआ खुदा है लेकिन कुऐ का अलग से खसरा नम्बर दर्ज नहीं है इसलिए रेकर्ड मे दर्ज नही किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सकता। इस हेतू सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व वादी द्वारा दिनांक 06/08/2019 को प्रार्थनापत्र पेश किया जिसकी फोटो वादपत्र के साथ पेश है। वादी की उक्त कृषि भूमि की किस्म चाही सोयम है तथा वादी अपनी कृषि भूमि मे बागान व उन्नत कृषि कार्य करने हेतू उक्त कुऐं की मरम्मत करवाकरके सिंचाई करना चाहता है इसलिए वादी अपनी उक्त कृषि भूमि मे से कुऐ हेतू 01 बिस्वा जमीन गै0मु0 कुऐ के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाना चाहता है इसलिए वादी द्वारा यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष घोषणा का पेश है। प्रतिवादी संख्य 01 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है इसलिए बिना नोटिस दिये वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। बिनाय वाद दिनांक 06/08/2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी को अपनी कृषि भूमि मे कुऐ का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट तलब करने पर पटवारी हल्का कावलियाकलां द्वारा रिपोर्ट में मौके पर कुआ खुदा हुआ होना दर्शित किया है एवं उक्त कुऐ का अलग से खसरा नम्बर दर्ज नही है इसलिए राजस्व रेकर्ड मे कुआ दर्ज करवाने बाबत् सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतू कहने पर दिनांक 20/09/2019 को पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01 दिनांक 01.04.2021 को पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा जबाब दावा पेश किया गया जो सा.मि: है। प्रतिवादी ने अपने जबाब में कथन किया कि बिन्दु संख्या 01 का जबाब है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम कांवलियाखुर्द सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 171 में खसरा नम्बर 287/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा किस्म चाही सोयम में प्रदीपसिंह धर्मावत पुत्र मोहनसिंह कौम चारण सा.देह खातेदार दर्ज है। बिन्द संख्या 02 का जबाब है कि पटवारी हल्का कांवलिया कलां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कांवलिया खुर्द के खसरा नम्बर 287/1 में कुआ खुदा हुआ है जो पटवारी रिपोर्ट अनुसार स्वीकार है। बिन्दु संख्या 03 का जबाब है कि प्रार्थी ग्राम कांवलियाखुर्द के खसरा नम्बर 287/1 में स्थित उक्त कुए का रकबा 01 बिस्वा को पृथकं दर्ज कराना चाहता है, जो श्रीमान् के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। बिन्दु संख्या 4,5,6 कानूनी बिन्दु है। बिन्दु संख्या 7 का जबाब है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम कांवलियाखुर्द के [illegible] नम्बर 287/1 में स्थित कुए का रकबा 01 बिस्वा पृथक [illegible] [illegible] गया है, जो श्रीमान् के न्यायालय से सम्बन्धित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। [illegible] [illegible] दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा ग्राम कांवलिया खुर्द तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 287/1 रकबा 2.07 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पा

किस्म चाही सोयम में से 01 बिस्वा भूमि को गै.मु. कुआ राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में वादी खाता संख्या 171 खसरा नम्बर 287/1 का खातेदार दर्ज है। वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है वादी घोषणा के वाद के माध्यम से उक्त खसरे में से 01 बिस्वा भूमि जिसकी किस्म चाही सोयम दर्ज है उसकी किस्म परिवर्तन कर अलग खसरा नम्बर देकर किस्म गै.मु. कुआ राजस्व रिकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। अतः वादी द्वारा वस्तुतः किस्म परिवर्तन का अनुतोष चाहा गया है जो न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं है। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम वादी का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाना विधिसम्मत समझते है।

–:: आदेश::–

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वादी द्वारा किस्म परिवर्तन का अनुतोष चाहा गया है जो न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में नहीं है। अतः वादी का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:08 IST
Reason: SelfAttested